भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 413**

19 जुलाई, 2016 को उत्तर देने के लिए

**खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां**

**413. श्री राजेश भाई चुड़ासमा:**
**श्री दुष्यंत चौटाला:**
**श्री राजू शेट्टी:**
**श्री भैरों प्रसाद मिश्र:**
**श्री विष्णु दयाल राम:**
**श्री राहुल कस्वां:**
**श्री आलोक संजर:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु क्रियान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की कमी रही है जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थानों की पहचान हेतु एक खाका तैयार करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बेहतर कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए देश में विभिन्न फलों और सब्जियों को उगाने वाले क्षेत्रों के विकास और संवर्धन हेतु कोई योजना तैयार करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

(क): उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2013-14 के अनुसार देश में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की कुल संख्या 37,445 है । देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की राज्य-वार संख्या **संलग्नक** में दी गई है ।

(ख): देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिनांक 31.03.2012 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा था । इस स्कीम के अंतर्गत, देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/ प्रौद्योगिकी उन्नयन/

आधुनिकीकरण के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही थी । उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत पात्र उद्यमियों के लिए अनुमत्य वित्तीय सहायता की मात्रा सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25% की दर से परंतु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75 लाख रुपए थी । बाद में इस स्कीम को 01.04.2012 से 31.03.2015 तक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया था । तत्पश्चात, उक्त स्कीम को भारत सरकार की सहायता से पृथक कर दिया गया और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने बढ़े हुए संसाधनों से इस स्कीम को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्यों पर छोड़ दिया गया था ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत 12वीं योजना अवधि के दौरान एक भाग के रूप में 11वीं योजना अवधि की प्रतिबद्धताओं/शेष दायित्वों को पूरा करने के लिए भी पात्र उद्यमियों को अनुदान सहायता जारी करता रहा है ।

(ग): कृषि मंत्रालय की ओर से आर्थिक विकास संस्थान द्वारा वर्ष 2014 में विभिन्न खाद्य उप-क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर से संबंधित किए गए आंकलन के अनुसार, वर्ष 2010-11 में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की औसत सीमा 6.76% तक थी । इसका तात्पर्य यह है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के इच्छुक और पात्र उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावना है । देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों से भी सहयोग मिला है ।

(घ) और (ड.): सरकार ने एक खाद्य मानचित्र तैयार किया है जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में फलों और सब्जियों की उपलब्धता दर्शाई गई है । इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट (www.mofpi.nic.in) पर उपलब्ध कराया गया है ताकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के इच्छुक उद्यमियों को किसी विशेष स्थान में कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में जानकारी हो सके जिससे उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से संबंधित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी ।

(च): जी, नहीं । राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पहले ही एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्वित किया जा रहा है । इसके अंतर्गत, फलों और सब्जियों को क्षेत्र-विस्तार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है संरक्षित कृषि के अंतर्गत भी प्रसंस्करण इकाइयों की कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने और बाजार की मांग की पूर्ति के लिए सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा रहा है । फलों और सब्जियों की खेती को कृषि-जलवायु दशाओं और बाजार मांग के आधार पर बढ़ावा दिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, सरकार राज्यों और कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत परियोजनाओं के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के माध्यम से राज्यों में फलों एवं सब्जियों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है ।

****

**संलग्नक**

**"खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों" के बारे में दिनांक 19.07.2016 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 413 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:**

| **2013-14 के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फैक्ट्रियों की राज्य-वार अनुमानित संख्या** | | |
|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **पंजीकृत इकाइयों की संख्या** |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 5,739 |
| 2 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 5 |
| 3 | असम | 1,294 |
| 4 | बिहार | 794 |
| 5 | चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) | 19 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 1,049 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली | 3 |
| 8 | दमन और दीव | 31 |
| 9 | दिल्ली | 166 |
| 10 | गोवा | 86 |
| 11 | गुजरात | 1,904 |
| 12 | हरियाणा | 631 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 172 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 144 |
| 15 | झारखण्ड | 198 |
| 16 | कर्नाटक | 2,033 |
| 17 | केरल | 1,460 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 672 |
| 19 | महाराष्ट्र | 3,040 |
| 20 | मणिपुर | 21 |
| 21 | मेघालय | 18 |
| 22 | नागालैण्ड | 15 |
| 23 | ओडिशा | 932 |
| 24 | पुद्दुचेरी | 69 |
| 25 | पंजाब | 2,786 |
| 26 | राजस्थान | 862 |
| 27 | सिक्किम | 21 |
| 28 | तमिलनाडु | 5,204 |
| 29 | तेलंगाना | 3,850 |
| 30 | त्रिपुरा | 71 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 2,037 |
| 32 | उत्तराखण्ड | 380 |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 1,739 |
| | **कुल** | ***37,445*** |
| **स्रोत**: **उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण**, 2013-14 | | |